न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी जायल, जिला नागौर

पीठासीन अधिकारी :– रवीन्द्र कुमार, आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या: 224 / 2016
जीसीएमएस न. 2016 / 00082

वादीगण–

1. कमरूदीन पुत्र अब्दूखां
2. जोमदीन खां पुत्र अब्दू खां
   जातियान–मुसलमान, निवासीगण–कुमराव की ढाणी शैरानीआबाद ,तहसील–डीडवाना (नागौर)

बनाम

प्रतिवादीगण –

1. अल्लदीन खां पुत्र अजीमशाह
   जातियान–मुसलमान, निवासी– खाटूखुर्द तहसील–डीडवाना (नागौर)
2. तहसीलदार, जायल

दावा अन्तर्गत धारा 88 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थिति :–

1. श्री हनुमानराम मण्डा एवं श्री मुकेश बिडियासर अधिवक्ता वादीगण।
2. प्रतिवादी संख्या 2 राजपैरोकार उपस्थित

– निर्णय –

दिनांक : 11/7/2022

वादपत्र का संक्षिप्त विवरण एवं तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण द्वारा एक वादपत्र अन्तर्गत धारा 53, 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत जरिये अधिवक्ता पेश किया। वादीगण ने निवेदन किया कि मौजा खाटूकलां के खेत ख.न. 1106 रकबा 48.19 बीघा पर कदीमी कब्जा काश्त स्व. अब्दू व अब्दू के पिता का रहता आया है। इस खेत पर कब्जा अ. हसन, अ. समी पिसारान मो. तायर ने करना चाहा था तब वादीगण ने एक लिखापढी दिनांक 30.4.1991 को कर जरिये इकरारनामा वापिस प्राप्त कर लिया था। तथा दिनांक 30.04.91 के बाद वादीगण खेत ख.न. 1106 रकबा 48.19 बीघा में एक रहवासी ढाणी बनाकर परिवार सहित रहने लग गये थे। कब्जा काश्त काश्तकारी अधिनियम के प्रभाव में आने के दिन से तथा सम्वत् 2006 से दावा पेश के रोज तक वादीगण व पूर्व मे वादीगण के बाप दादा का रहा है।

11/7/2022
सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.) जायल

प्रतिवादी मुतवादिया खेताय मं बतोर हाली (नोकर) काश्त करता था। इस कारण मुतवादिया भूमि की खातेदारी प्रतिवादी के नाम दर्ज हो गई। प्रतिवादी अल्लादीनशाह का कब्जा काश्त काश्तकारी अधिनियम के प्रभाव मे आने के रोज नहीं था। प्रतिवादी सं. 1 के खिलाफ वादीगण का कब्जा एडवर्स पजेशन के रूप में रहवासी ढाणी सहित मौजुद है। उक्त ढाणी वर्ष 1992 बनाकर वादीगण रहता आ रहा है तथा इसमे विद्युत कनेक्शन भी है जो कमरूखान पुत्र अब्दूखान के नाम से है। वादीगण के द्वारा दिनांक 11.08.2016 को वादीगण को उक्त खेत पर किसान क्रेडिट कार्ड से ऋण लेने बाबत हलका पटवारी से सलाह मशविरा करने पर ऋण मिलना असम्भव बताने पर वाद उत्पन्न होने पर वाद बाबत घोषणा खातेदारी का पेश करना लाजमी आया।

वाद वादीगण ने प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादीगण वाद डिक्री किया जाकर मौजा खाटूकलांक के खेत ख.न. 1106 रकबा 48.19 बीघा की खातेदारी वादीगण ने नाम घोषित फरमाते हुये राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद बाबत तहसीलदार जायल को तहरीर जारी की जावे।

वादीगण का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया प्रतिवादी को जरिये समन तलब किया गया। प्रतिवादी को भिजवाये गये रजि. डाक से सम्मन पर लेने से इनकार के टिप्पणी के साथ नोटिस पुनः प्राप्त हुआ। जिस पर उक्त नोटिस की प्रतिवादी पर तामील मानी जाकर बावजुद सूचना गैर हाजिर रहने से एक पक्षिय कार्यवाही अमल मे लायी गई। वकील वादीगण की ओर से एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर मौका कमिश्नर नियुक्त किया जाकर मौका रिपोर्ट रिकॉर्ड पर लेने का निवेदन किया जिस पर नायब तहसीलदार जायल को मौका कमिश्नर नियुक्त किया गया। मौका कमिश्नर द्वारा अपनी रिपोर्ट दिनांक 23.11.2016 को मौका निरीक्षण कर रिपोर्ट प्रस्तुत की।

वकील वादी ने एक प्रा.पत्र अधीन आदेश 1 नियम 10 सीपीसी का मय शपथ पत्र पेश कर हस्तगत प्रकरण में राज्य सरकार जरिये तहसीलदार जायल को लेण्ड होल्डर से वाद में पक्षकार बनाये जाने का निवेदन किया। प्रतिवादी सं. 1 के विरूद्ध पूर्व में इकतरफा कार्यवाही हो जाने से प्रा. पत्र पर अन्य किसी की आपत्ति नहीं होने से प्रा.पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार जायल को प्रतिवादी पक्षकार सयोंजित किया जाता हैं।

प्रतिवादी संख्या 2 केवल परफोर्मा पक्षकार पेश होने तथा प्रतिवादी सं. 1 के विरूद्ध एक पक्षिय कार्यवाही हो जाने के कारण प्रकरण में विवाद्यक बिन्दू (तनकीयात्) की आवश्यकता नहीं होने से तय नही किये गये तथा पत्रावली साक्ष्य वादी हेतु नियत की गई।

वाद पत्र में दस्तावेजी व मौखिक साक्ष्य के सबूत के तौर पर शपथ पत्र कमरूदीन पुत्र अब्दूखां, उस्मान खां पुत्र लालखां, नवाब खां पुत्र निजाम खां तथा जफरदीन पुत्र चान्द खां का पेश हुआ। नकल जमावन्दी ग्राम खाटूखुर्द तहसील–जायल सम्वत् 2069–2072 प्रदर्श–1, मौका कमिश्नर रिपोर्ट प्रदर्श 2 कराई। अधिवक्ता वादीगण द्वारा ओर साक्ष्य पेश नही करने के निवेदन पर साक्ष्य वादी बंद की जाकर पत्रावली बहस हेतु नियत की गई।

सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.) जायल

उभय पक्षकारान एवं अधिवक्ता की बहस सुनी गयी। वादीगण के अधिवक्ता ने निवेदन किया है कि वाद पत्र में वर्णित पैराज को प्रतिवादीगण संख्या 1 के विरूद्ध एक पक्षिय कार्यवाही होने से तथा मुतवादिया भूमि मौजा खाटूकला के ख.न. 1106 रकबा 48.19 बीघा पर कदीमी काल से वादीगण एव उनके बडेर का कब्जा काश्त होने वादी ख.न. 1106 रकबा 48.19 बीघा की खातेदारी वादीगण के नाम घोषित किया जाकर तहसीलदार जायल माफिक डिक्री आदेश के राजस्व रिकॉर्ड मे अमल दरामद करने हेतु तहरीर जारी की जावे।

पत्रावली पर रिकॉर्ड का ध्यानपूर्वक एवं वकील वादीगण की बहस पर मनन किया गया। ग्राम खाटूकलां के ख.न. 1106 रकबा 48.19 बीघा वर्तमान में प्रतिवादी अल्लादीनशाह के नाम खातेदारी मे दर्ज है। प्रतिवादी को जरिये रजिस्ट्रड डाक भिजवाया गया जो लेने से इनकार की रिपोर्ट के साथ शामिल पत्रावली हुआ। सम्वत 2012 से सम्वत 2020 में ख.न. 1106 रकबा 481.9 बीघा प्रतिवादी के नाम गलत खातेदारी दर्ज हुई हो तथा वादी का कब्जा काश्त व खातेदारी वक्त सेटलमेंट काश्तकारी कानून प्रभाव मे आने के समय या पहले से रहता आया हो इस बाबत वादी की और से कोई विधिक दस्तावेज दौराने साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है। वादी की ओर से साक्ष्य बाबत मात्र बिजली विभाग का बिल की छायाप्रति व वर्तमान जमाबंदी की नकल ही पेश की गई। जिससे यह साबित नहीं होता है कि ग्राम खाटूकलां के ख.न. 1106 रकबा 48.19 बीघा सम्वत 2012 से सम्वत 220 तक वादी या उसके बडेर की खातेदारी व कब्जा काश्त का दर्ज रहा हो। वादी ने मात्र मौका कमिश्नर रिपोर्ट के आधार पर अराजी भूमि पर घोषणा खातेदारी की इस्तदुआ चाही है। मौका कमिश्नर रिपोर्ट मात्र वर्तमान तथ्यों को स्पष्ट व उनके निराकरण के लिए उपयोगी हो सकती है परन्तु वर्तमान मे मौके पर कब्जा काश्त के आधार पर खातेदारी अधिकार दिये जाने हेतु पर्याप्त आधार नहीं है।

आर.आर.टी पेज. 49, 11/12.07.2017 2017(2) आर.आर.टी 783 राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर के प्रकरण सं. 7499/2001 मंगलाल के का.मु. बनाम रामजीलाल मे पारित निर्णय दिनांक 18.10.2016 "सम्वत् 2012 से अधिपत्य साबित करने हेतु दस्तावेज पेश नहीं किया–शिकमी उप कृषक का संबंध साबित नहीं किये जाने से प्रकरण खारिज किया गया।"

आर.आर.टी पेज. 11, 11/12.07.2011 2011(2) आर.आर.टी 721 राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर के अन्य प्रकरण सं. 2964/1997 अनुवान जगदीश बनाम श्री सिताराम में प्रतिपादित सिद्धात दिनांक 03/06/2011 में सिद्धात प्रतिपादित किया है कि "प्रतिकुल कब्जा के आधार पर काश्तकारी अधिकार प्रदान करने का प्रावधान नहीं है, न्यायालय काश्तकारी अधिकार प्रदान नहीं कर सकते।"

आर.आर.टी पेज. 133, 11/12.09.2017 2017(2) आर.आर.टी 1139 माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर के प्रकरण सं. 10723/2015 अनुवान मसुर बनाम राजस्थान स्टेट निर्णय दिनांक 27.01.2017 में प्रतिपादित सिद्धात "code of civil procedure, 1908 order 39 rule 1&2 Temporary injunction- dismissed- Auction of plots- Pititioners are encroachers-

सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.) जायल

Adverse possession- Land allocated to Municipal Council in the year 1989- land declared to be abadi land long back- pititioners alos lost the revenue suit- No locus standi to challenge the light, title & possession of the municipal council- No provision in Tenancy Act for conferment of khatedari right on the basis of adverse possession- Held petition dismissed."

उपरोक्त वर्णित अपर न्यायालयों में प्रतिपादित सिंद्धात हस्तगत प्रकरण में भी पूर्णतया लागू होते है। हस्तगत प्रकरण मे वादी की और से ख.न. 1106 रकबा 48.019 पर कब्जे के आधार पर खातेदारी घोषणा हेतु उक्त वाद पेश किया जिसमे वादी की और से ख.न. 1106 रकबा 48.19 पर सम्वत 2012 से अपने कब्जे बाबत कोई विधिक साक्ष्य पेश नहीं किया हैं। वादी ने अपने वाद में यह कहीं भी उल्लेखित नहीं किया है कि ख.न. 1106 की खातेदारी प्रतिवादीगण के नाम कब गलत दर्ज हुई तथा वादी को इसकी जानकारी कब हुई जिससे वादी का मियाद अवधि मे भी शुमार नहीं होता है। सम्वत 2012 मे या उससे पूर्व वादग्रस्त भूमि पर वादी या उसके बडेर का कब्जा काश्त या श्किमी काश्तकार दर्ज रहे हो इस बाबत कोई ठोस विधिक साक्ष्य पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है, मात्र मौका कमिश्नर रिपोट में वर्तमान मे कब्जा होने के आधार पर वादी को मौजा खाटूकलां के खेत ख. न. 1106 रकबा 48.19 बीघा के खातेदारी अधिकार दिया जाना उचित प्रतित नहीं होता है।

– : : आदेश : : –

अतः वाद वादी का अधिन धारा 88 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 का धारा 5 मियाद अधिनियम 1963 के तहत शुमार नहीं होने से तथा प्रतिकुल कब्जा के आधार खातेदारी अधिकार बाबत पर्याप्त साक्ष्य सबुत व दस्तावेजो के अभाव स्वीकार किया जाना उचित प्रतित नहीं होने से खारिज किया जाता है।

11/7/2022

(रवीन्द्र कुमार)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
जायल

सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.) जायल

निर्णय आज दिनांक ...11/7/2022... को मेरे हस्ताक्षर द्वारा न्यायालय की मुद्रा से जारी कर सरे इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.) जायल

11/7/2022

(रवीन्द्र कुमार)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
जायल

सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.) जायल

अन्तिमडिक्री व मुकदमे इब्तदाई
(आर्डर 21 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)
अज अदालत सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी जायल (नागौर)
इजलास रवीन्द्र कुमार, आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :224/2020
जीसीएमएस न. 2016/00082

वादीगण–

1. कमरूदीन पुत्र अब्दूखां
2. जोमदीन खां पुत्र अब्दू खां
   जातियान–मुसलमान, निवासीगण–कुमराव की ढाणी शैरानीआबाद ,तहसील–डीडवाना (नागौर)

बनाम

प्रतिवादीगण –

1. अल्लदीन खां पुत्र अजीमशाह
   जातियान–मुसलमान, निवासी– खादूखुर्द तहसील–डीडवाना (नागौर)
2. तहसीलदार, जायल

दावा अन्तर्गत धारा 88 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थिति :–

1. श्री हनुमानराम मण्डा एवं श्री मुकेश बिडियासर अधिवक्तावादीगण।
2. प्रतिवादी सं. 1 एक पक्षिय कार्यवाही।
3. प्रतिवादी संख्या 2 राजपैरोकार उपस्थित।

– : : डिक्री आदेश : : –

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल तई रूबरू हमारे व हाजरी श्री हनुमानराम मण्डाअधिवक्ता वादीगण मिनजानिब मुददई प्रतिवादी संख्या 1 राजपैरोकर हाजरी उपस्थित मिनजानिब मुददायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि –
बाद वादी का अधिन धारा 88 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 का धारा 5 मियाद अधिनियम 1963 के तहत शुमार नहीं होने से तथा प्रतिकुल कब्जा के आधार खातेदारी अधिकार बाबत पर्याप्त साक्ष्य सबुत व दस्तावेजो के अभाव स्वीकार किया जाना उचित प्रतित नहीं होने से खारिज किया जाता है।

11/7/2022

(रवीन्द्र कुमार)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
जायल

तीज – मुबलिग – बाबत् –खर्चा इस मुकद्दमे के मय व भारह – सालाना आज की तारीख में तारीख वसूलयाबी तक – की अदा करें। बवक्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख ....11/7/2022.... को जारी की गई।

मुदायराह	रूपया	पैसे	मुदायराह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			वजह सबूत महनताना वकील		
महनताना वकील			खर्चा गवाहान		
फीस कमिश्नर			फीस कमिश्नर		
बाबत् इजराज हुक्मनामा			बाबत् हुराय हुक्मनामा		
मुतफरिक			मुतफरिक		
			दर0 तलबाना		
मीजान			मीजान		

नोट :–इस वर्ष के फार्म पर कुल खर्चा हाजरी हर दो फरीकेन का, चाहे डिकरे के जरिये दिलाया गया हो, या नही, दर्ज करना चाहिये।

11/7/2022

(रवीन्द्र कुमार)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
जायल

सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.) जायल